

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2/नि.श्रे./सर्वेयर/पदो/स्था./5-11/1023

भोपाल दिनांक 6/2/12

:: आदेश ::

निम्नलिखित सर्वेक्षकों (परिवर्तित नाम भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी) को अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश पर्यंत कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5200-125-20200 ग्रेड पे 2800 में आदेश जारी करने के दिनांक से निम्न शर्तों पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	व.क्र. 1.4. 10	कर्मचारी का नाम/ अधिकारी का नाम	जाति	जन्मतिथि	सर्वग मे नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थल	उप संचा.कृ. के अधीन पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल गृह तहसील/ वि.ख.छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	जगमोहन सिंह भदौरिया	सामा.	26/7/53	04/3/75	मुरैना	उ.सं.कृ. मुरैना के अधीन
2	35	रामरतन राठौर	सामा.	03/3/55	03/12/75	अशोक नगर	उ.सं.कृ. मिण्ड के अधीन
3	45	व्ही.एन.शिंदे	सामा.	21/2/55	18/12/75	शयोपुर कला	कार्या. संयु.संचा.कृ. मुरैना
4	51	चेतराम प्रजापति	सामा.	07/5/55	29/12/75	मुरैना	शा.कृ.प्र.गोहद जिला मिण्ड
5	64	ओ.पी.पटेल	सामा.	30/3/54	23/11/76	जबलपुर	उ.सं.कृ.कटनी के अधीन
6	67	आर.पी.ठाकुर	सामा.	17/2/52	01/12/76	जबलपुर	उ.सं.कृ.कटनी के अधीन
7	68	आर.सी.महोबिया	सामा.	01/7/57	10/12/76	खरगौन (न.घा. वि.प्रा.)	ए.एस.सी.ओ हरदा (प्रति.नि. से सेवा वापस लेकर)
8	79	लालसिंह भदौरिया	सामा.	01/7/53	16/12/76	मुरैना	शा.कृ.प्र.जौरा जिला मुरैना
9	83	श्यामसिंह तोमर	सामा.	01/4/53	17/12/76	मुरैना	उ.सं.कृ. मिण्ड के अधीन
10	94	लक्ष्मीकांत शर्मा	सामा.	14/8/57	18/12/76	शयोपुर कला	उ.सं.कृ.शिवपुरी के अधीन
11	109	एस.सी.पटवारी	सामा.	09/10/55	21/12/76	खरगौन	उ.सं.कृ. खरगौन के अधीन


rew.raeo - sur order-11.doc

(Handwritten Signature)

1	2	3	4	5	6	7	8
12	111	जगन्नाथ सिंह मदौरिया	सामा.	09/4/52	22/12/76	भिण्ड	उ.सं.कृ.दतिया के अधीन
13	114	जे.एस.बघेल	सामा.	03/4/56	23/12/76	गुना	उ.सं.कृ.गुना के अधीन
14	120	विष्णु कुमार शर्मा	सामा.	04/4/53	17/12/76	श्यापुर कला	उ.सं.कृ. श्यापुरकला के अधीन
15	121	एम.पी.सिंह मदौरिया	सामा.	01/7/53	27/12/76	भिण्ड	उ.सं.कृ. अशोकनगर के अधीन
16	122	आर.एस.श्रीवास्तव	सामा.	12/6/53	27/12/76	खरगोन	उ.सं.कृ. खरगोन के अधीन
17	123	सुखराम टैगोर	अ.जा.	12/10/56	27/12/76	झाबुआ	ए.एस.सी.ओ थॉदला जिला झाबुआ
18	124	एस.एल.भोज	अ.जा.	01/1/54	28/12/76	अशोक नगर	ए.एस.सी.ओ ईसागढ जिला अशोकनगर

- 1 यदि यह पाया गया कि पदोन्नति किये गये कर्मचारी से वरिष्ठ कोई कर्मचारी किसी कारण पदोन्नत नहीं हो पाया है तो नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण कर कनिष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जा सकता है ।
- 2 जिस उप संचालक कृषि के अधीन पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है वह उनके जिले में संबंधित की गृह तहसील/गृह वि.खं.छोड़कर पदस्थापना आदेश तत्काल जारी करेंगे, तथा जब तक पदस्थापना आदेश प्रसारित नहीं करते, तब तक किसी कर्मचारी को वर्तमान पद से भारमुक्त नहीं किया जावे ।
- 3 जिस जिले/संभाग में इस आदेश से पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है, उस जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को यह देखना होगा कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई निलंबन अभियोजन प्रताड़ना अथवा विभागीय जांच लंबित तो नहीं है । यदि किसी प्रकरण में विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच का निर्णय जिसमें पदोन्नति प्रभावित होती है यह पदोन्नति आदेश निरस्त मानकर यह आदेश वितरित नहीं किया जावे । ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति का आदेश संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि, म.प्र.भोपाल को मूलतः वापस करेंगे, विभागीय जांच के निर्णय या दण्ड अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा ।
- 4 पदोन्नत कर्मचारी उस जिले/संभाग में कार्यरत नहीं है जहां आदेश में दर्शाया गया है तो यह आदेश उस संभाग के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को भेजा जावे जहां वह कार्यरत है ।
- 5 पदोन्नत कर्मचारी का विवरण दिया गया है । कर्मचारी के व्यक्तिगत अभिलेखों से मिलान कर संबंधित को आदेश वितरित करेंगे तथा विवरण में अंतर हो तो तदनुसार संचालनालय को सूचित किया जावे ।
- 6 यदि कोई सर्वेक्षक पूर्व में पदोन्नत हो चुका हो/मृत्यु हुई हो/त्याग-पत्र दिया गया हो/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया हो, तो उसके संबन्ध में पूर्ण जानकारी सहित आदेश मूलतः वापस लौटावे ।
- 7 इस पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 1 माह के अंदर अपने पदोन्नति स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी माना जावेगा ।
- 8 जिस कार्यालय के अधीन पदोन्नत कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेंगे, वह कार्यालय उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से शीघ्र संचालनालय को सूचित करेंगे । यह पदोन्नति आदेश पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही प्रभावशील होगा ।


- 9 पदोन्नत कर्मचारी को दो वर्ष के अंदर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमित वार्षिक वृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट है।
- 10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है।
- 11 पदोन्नति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जावेगा। एक माह पश्चात दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।
- 12 यदि इन पदोन्नत कर्मचारी से कनिष्ठ कोई सर्वेक्षक पूर्व आदेश अ-2/नि.श्रे./सर्वे.पदो/स्था./5-11/3163-64 भोपाल दिनांक 30-8-11 द्वारा कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो गये हो तो इस आदेश के अन्तर्गत पदोन्नत सर्वेक्षक की कृषि विकास अधिकारी संवर्ग में उन कनिष्ठ व्यक्तियों के उपर सर्वेक्षक की स्थिति दर्शाने वाली वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता दी जावेगी।


संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2/नि.श्रे./सर्वेयर/पदो/स्था./5-11/1024
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

भोपाल दिनांक 6/2/12

- (1) विशेष सहायक, मा0 कृषि राज्य मंत्रीजी, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की ओर एकल नस्ती जा.क. 33 दिनांक 1.2.2012 के संदर्भ में।
- (2) प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- (3) संचालक (रा.ज.प्र.उ.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल म0प्र0।
- (4) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास..... म0प्र0।
- (5) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास..... म0प्र0।
- (6) संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी, (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) खरगोन म.प्र.।
- (7) कल्याण अधिकारी, कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ संचालनालय, कृषि भोपाल।
- (8) निज सहायक, संचालक कृषि/विभागीय जॉब/सी0आर0/अ-2-4 पटल।
- (9) अध्यक्ष, म.प्र.सर्वेयर (परिवर्तित नाम भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी) संघ द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, भोपाल।
- (10) संबंधित श्री..... सर्वेक्षक द्वारा कमांक-5
- (11) आदेश नस्ती।


संयुक्त संचालक कृषि (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल